

छत्तीसगढ़ शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर 492002.

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 14-08-2017.

क्रमांक एफ 01-08/2017/23:- राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कालम नं.-4 में अंकित अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती बबीता ठाकुर, सहायक संचालक,	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय धमतरी	आ.सां. संचा. नया रायपुर	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री सुरेश चन्द्र सिंह, सहायक संचालक	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बलरामपुर	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रायगढ़	स्वयं के व्यय पर
3.	श्री पी. पी. सिंह, सहायक संचालक	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय गरियाबन्द	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर
4.	श्री एन. एस. कुशरे, सहायक संचालक	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय कबीरधाम	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय धमतरी	प्रशासनिक व्यय पर
5.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक संचालक	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सरगुजा	आ.सां. संचा. नया रायपुर	प्रशासनिक व्यय पर

next

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
14/08/17
(एन. आर. रात्रे)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 01-08/2017/23,

नया रायपुर, दिनांक 14/08/2017.

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला-धमतरी/बलरामपुर/रायगढ़/गरियाबन्द/सूरजपुर/कबीरधाम/सरगुजा (छत्तीसगढ़),
5. जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला-धमतरी/बलरामपुर/रायगढ़/गरियाबन्द/सूरजपुर/कबीरधाम/सरगुजा (छत्तीसगढ़),
6. कोषालय अधिकारी, जिला-धमतरी/बलरामपुर/रायगढ़/गरियाबन्द/सूरजपुर/कबीरधाम/सरगुजा/सीटी कोषालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़),
7. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती.....
..... की ओर पालनार्थ,
8. गार्ड फाईल,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14-8-17
14/08/17

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग